राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ईमेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/18928–19209 दिनांक :– 31/3/2017

महापौर / सभापति / अध्यक्ष,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– खुले में शौच मुक्त (ODF) हेतु Protocol के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ :– भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 09.03.2017

जैसा कि आपको विदित है, आपके शहर को शौचालयो का निर्माण करवाकर खुले मे शौच मुक्त (ODF) घोषित किया जाना है। खुले मे शौचमुक्त घोषित किये जाने हेतु Protocol आपको पूर्व मे प्रेषित किया जा चुका है। पूर्व मे प्रसारित निर्देशो की निरन्तरता मे शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मिलित शर्ते वर्ष 2011 के बाद किसी भी योजना मे निर्मित IHHTs का विवरण स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड किये जाने व सामुदायिक शौचालयो एवं सार्वजनिक शौचालयो की फोटोग्राफ जो कि चालू हालत मे है, को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने के लिये विभागीय पत्र दिनाकं 21.03.2017 द्वारा आपको निर्देशित किया जा चुका है।

वार्डो / शहरो को खुले मे शौचमुक्त किये जाने हेतु अस्वच्छकारी शौचालयो को स्वच्छकारी शौचालयो में परिवर्तित करने का कार्य एक निरन्तर प्रकिया है तथा इस कार्य के चलते भी वार्डो / शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सकता है, बशर्ते उस वार्ड / शहर में दिन में किसी भी समय कोई व्यक्ति खुले में शौच करता ना पाया जावें।

शहरो / वार्डो को खुले मे शौचमुक्त घोषित किये जाने से पूर्व निम्न शर्तो को पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

1. जिन घरो मे घरेलू शौचालय (IHHL) बनाने की जगह हो उनमे घरेलू शौचालयो का निर्माण करवाया जावे।
2. जिन घरो मे घरेलू शौचालये (IHHL) बनाने की जगह उपलब्ध नही है उन घरो हेतु सामुदायिक शौचालयो का निर्माण इस तरह करवाया जावे कि 500 मीटर दूरी के भीतर सामुदायिक शौचालय आसानी से उपलब्ध हो सके।
3. सभी वाणिज्य क्षेत्र (Commercial area) मे सार्वजनिक शौचालयो का निमार्ण इस तरह करवाया जावे कि 1 किमी की दूरी के भीतर आसानी से उपलब्ध हो सके।
4. घरेलू शौचालय जो कि वर्ष 2011 के बाद बनाये गये है, कि सूचना आवश्यक रूप से SBM पोर्टल पर अपलोड की जावे।
5. सामुदायिक शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयो के फोटोग्राफ जो कि चालू हालत मे हो को SBM पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जावे।

उक्तानुसार ODF Protocol की पालना सुनिश्चित करते हुये आप अपने शहरो को अतिशीघ्र ODF घोषित कर सूचना निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

अतः आप व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने शहर को ODF घोषित करने का श्रम करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 19210-296
दिनांक :– 31/3/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. CMAR, निदेशालय।
8. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
9. प्रोगामर, निदेशालय विभागीय वेवसाइट पर अपलोड हेतु
10. सुरक्षित पत्रावली।

(सुरेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

PRAVEEN PRAKASH, IAS
Joint Secretary & Mission Director (SBM)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

प्रवीण प्रकाश, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस.बी.एम.)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

सत्यमेव जयते

D.O. SBM/AS-35/2017 **Date: 9th March, 2017**

Sh. Kala
Circulate instruction accordingly in Hindi too
20/3

Sub: Clarification on achieving 'Open Defecation Free' (ODF) status

Dear Sir,

As you are aware, Ministry of Urban Development is implementing Swachh Bharat Mission (SBM) Urban with a goal to make the country clean and open defecation free(ODF) by 2nd October 2019.

In the pursuit to make India ODF by 2nd October 2019, Gujarat and Andhra Pradesh have already achieved ODF status and working towards sustaining the same.

2. It is indeed heartening to see the enthusiasm with which cities are now stepping up their efforts to declare themselves ODF and also get themselves certified as ODF thorough third party. We hope that in the coming months, more cities will be joining the fray in the face to become ODF and sustain their ODF status.

3. While cities are driving different initiatives to become ODF, it may be noted that **conversion of insanitary latrine to sanitary latrine** is an on-going process and **will not come in the way of achieving ODF status.**

4. A city / ward can be notified/declared as ODF city/ ODF ward if, at any point of the day, not a single person is found defecating in the open.

5. The ODF protocol already shared with the cities is going to be strengthened further to increase its credibility and transparency. The revised necessary infrastructure and regulatory conditions to be achieved before declaring a city/ward as Open Defecation Free are as follows:

Office: 140-C, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 • Mob: 9013133636, Phone: 011-23062309 Fax: 23062477
praveenprakashud@gmail.com : praveen.prakash71@nic.in

i) All households that have space to construct toilet, have constructed one

ii) All occupants of those households that do not have space to construct toilet have **access to a community toilet within a distance of 500 meters**

iii) All commercial areas have **public toilets within a distance of 1 kilometer**

iv) Details of all **Individual households toilets** (IHHL) constructed from 2011 onwards will have to mandatorily be **uploaded on the SBM-Urban portal.**

v) Pictures of all **functional community and public toilets** in the city, irrespective of the date of construction, will have to mandatorily be **uploaded on the SBM-Urban portal.**

This amendment will come into force with immediate effect, with intimation to the third party inspection agency too.

We wish you all the best in your accelerated journey towards ODF status.

With sincere regards

Yours sincerely,

(Praveen Prakash)

To:

Dr.Manjeet Singh, IAS
Principal Secretary – Local Self Government, Rajasthan

Copy to :

1. State Mission Director – SBM (U)
2. Additional Mission Director (SBM)
3. CPHEEO
4. Section